

05. जो भी अधिवक्तागण/पक्षकारगण/पुलिसकर्मी अपना आवेदन/चालान पेश करना चाहते हैं वे चाईन्ड कॉर्टली कोर्ट की छिड़की के नाम्यम से दे सकेंगे व अपनी उपस्थिति दर्ज करावें।

06. अत्यावश्यक नाम्यली की तुम्हार्इ हेतु सब न्यायाधीश/अपर सब न्यायाधीश की ढंगटी कोर्ट बदलत पूर्व नियत स्थान पर ही संचालित की जावेगी।

07. सभी अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि वे न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीह एकजित न करें जितना सबव ही घर से ही वीडियो मोबाइल एप/बॉट्सअप कॉलिंग के नाम्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करावें।

08. न्यायालय परिसर में अनावश्यक किसी भी अधिवक्तागण/पुलिसकर्मी/पक्षकारगण या किसी भी बाहरी घटना का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

09. यह भी सूचित किया जाता है कि जो भी अधिवक्तागण/न्यायिक कर्मचारी श्री जमील कुरैशी, अधिवक्ता के संपर्क में रहें हैं वे अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से होम ब्वारंटाइन कर लेंवे व ऐसे अधिवक्ता/न्यायिक कर्मचारी न्यायालय परिसर में उपस्थित न होवे अन्यथा उनके विरुद्ध शासन को उचित कार्यवाही किए जाने हेतु लिखा जावेगा।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

28/4/2020
जिला एवं सब न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक ०६/२०२०

प्रतिलिपि -

उज्जैन, दिनांक ____, अप्रैल, 2020

- समस्त न्यायाधीशगण, उज्जैन।
- सदिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन।
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, उज्जैन।
- जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन।
- पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन।
- प्रशासनिक अधिकारी, को सभी कर्मचारियों को सूचित किए जाने बाबत।

28/4/2020
जिला एवं सब न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक क्र/ २०२०

वार्षिक दिनांक अप्रैल 2020

कोरोना वायरस के सक्रमण की समाजना को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय तत्त्व न्यायालय से निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक वयू दिनांक 23.03.2020 एवं आदेश क्रमांक वयू दिनांक 14.04.2020 द्वारा इस न्यायिक जिला रथापना उज्जैन में दिनांक 03.05.2020 तक अकार्य दिवस के समान प्रोत्थित किया गया है। जिसके अंतर्गत अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई सत्र न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश हारा की जा रही है एवं रिमाण्ड कोर्ट ड्यूटी भी लगाई जा रही है।

वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है कि एक अधिकारी श्री जमील कुरैशी विगत कई दिनों से न्यायालय परिसर में उपस्थित हो रहे थे जिनकी कोरोना सक्रमण की रिपोर्ट पोजीटिव आई है उनके सापर्क में कई अधिवक्तागण / न्यायिक कर्मचारीगण / पक्षकारगण रहे हैं। उक्त रिधिति को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्देश जारी किए जा रहे हैं –

01. आज दिनांक 27.04.2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में फ़ॉट ऑफिस से की जावेगी।
02. अधिवक्तागण इवयं अपने कार्यालय से या अपने नियास स्थान से वीडियो मोबाइल एप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। अति आवश्यक रिधिति में जैसे कि जिन अधिवक्तागण को वीडियो मोबाइल एप यूज करने में कठिनाई आ रही है केवल वही न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी उपस्थिति ढेवे।
03. जो भी अधिवक्तागण न्यायालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपस्थित हो रहे हैं वे एक निश्चित दूरी के अंतराल में एक-एक कर एडीआर भवन के फ़ॉट ऑफिस जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो वहां पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें साथ ही इस व्यवस्था का सुचारू रूप से पालन किए जाने हेतु शांति पूर्वक अपनी आपरी सामाजिक स्थापित कर अपनी घारी का इंतजार करेंगे व भीड-भाड एकत्रित नहीं करेंगे।
04. दिनांक 28.04.2020 से रिमाण्ड कोर्ट, चाईल्ड फ़ैडली कोर्ट में संघालित होगी। अतः सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन जिनकी रिमाण्ड कोर्ट में ड्यूटी लगाई गई है वे अपनी उपस्थिति नियत रामयावधि में चाईल्ड फ़ैडली कोर्ट में सुनिश्चित करेंगे जिसका मैन दरवाजा बंद रहेंगा तथा केवल न्यायालयीन कर्मचारी जिनकी ड्यूटी रहेंगी वे ही न्यायालय में उपस्थित होंगे।